सं0-7/2016/444/तीन-2016-5(1)/04टीसी-

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त 2016

विषय : अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2487/तीन-5(9)/85-सा0प्र0अनु0, दिनांक 07 जुलाई, 1987 एवं शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-111/तीन-98-5(14)/97-सा0प्र0अनु0 दिनांक 06 मई 1999 तथा शासनादेश संख्या-2028(1)/तीन-2008-5(1)/2004 दिनांक 21 सितम्बर 2008 के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय अशोक चक्र से अलंकृत उत्तर प्रदेश के नागरिक नायक नीरज कुमार सिंह के नाम के सम्मुख अंकित रू0 28,12,000/- (रू0 अठ्ठाइस लाख बारह हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0	अलंकृत व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	अलंकरण/पुरस्कार का नाम तथा प्रदान किये जाने की तिथि	अलंकृत व्यक्ति के स्थायी निवास का पता	राज्य सरकार से अनुमन्य धनराशि/एकमुश्त/वार्षि की एवं संगत वित्तीय वर्ष	धनराशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1	शहीद नायक नीरज कुमार सिंह	अशोक चक्र 26 जनवरी 2015 (प्रभावी 24 अगस्त 2014)	मं0नं0-265 मोहल्ला व पो0-देवराला, थाना-शिकारपुर तहसील	एकमुश्त धनराशि 25,00,000/- एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 - 219 दिन रू0 72,000 वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु 1,20,000/- तथा	शहीद नायक नीरज कुमार सिंह

			खुरजा, जिला-बुलन्दशहर।	वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिकी रू0 1,20,000/- कुल धनराशि 25,00,000+72,000+ 1,20,000+1,20,000= 28,12,000/- (रू0 अठ्ठाइस लाख बारह हजार मात्र) से वर्ष 2007 तक 300 की वार्षिकी की दर से (300×7)=2100 तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक 1,00,000 वार्षिकी की दर से (1,00,000 × 9)=9,00,000/- अर्थात कुल धनराशि 25,000+2100+9,00, 000=9,27,100/- (रू0 नौ लाख सत्ताईस हजार एक सौ मात्र)	

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक "2075-विविध सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-03-अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ0प्र के

नागरिकों को नगद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

3- जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उपर्युक्त समस्त पुरस्कार विजेता उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं।

4- जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एकमुश्त/वार्षिकी की धनराशि का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है। जिलाधिकारी द्वार यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रथम उत्तराधिकारी के बैंक खाते की पहचार नियमानुसार करने के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक फन्ड ट्रान्सफर से सही व्यक्ति को समय से वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्दर भुगतान किया जायेगा। यह भी सत्यापित कर लिया जाये कि भुगतान के समय प्रथम उत्तराधिकारी जीवित हो।

5- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित करके उल्लिखित व्यक्ति को भुगतान करा दी जाय तथा कोषागार से आहरण की तिथि तथा बाऊचर संख्या महालेखाकार कार्यालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा शासन को अविलम्ब उपलब्धकरा दिये जाय। सम्बन्धित जिलाधिकारी स्वीकृत धनराशि हस्तगतकराने से पूर्व सम्बन्धित लाभार्थी का "जीवित प्रमाण-पत्र" प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं तद्नुसार शासन को भी सूचित करेंगे।

6- आपसे यह भी अनुोध है कि कृपया इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिकी को आगामी वर्ष में स्वीकृत किये जाने के संबंध में अपना प्रस्ताव विलम्बतम शासन को दिनांक 15 अगस्त 2016 तक अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि तद्नुसार आगामी वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराया जा सके और धनराशि स्वीकृत करने में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो।

7- यह शासनादेश **www.shasanadesh.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

भवदीय
(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव।

संख्या- : 7/2016/**444**(1)/तीन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, बुंलन्दशहर।
3- संबंधित व्यक्ति/प्राप्तकर्ता।
4- रक्षा सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6- निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, केसरबाग, लखनऊ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(के0डी0 वर्मा)
संयुक्त सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

आवंटन आदेश संख्या: 001-444/444 **आवंटन तिथि- 26/08/2016**
कोषागार : 05 - बुलन्दशहर **वित्तीय वर्ष:** 2016-2017
अधिकारी/ जनपद का संख्या : 4183- जिलाधिकारी **अधिकारी कार्यालय संख्या: 01 - -**
अनुदान संख्या: 84 - सामान्य प्रशासन विभाग
लेखाशीर्षक: 2075- विविध सामान्य सेवायें
800 - अन्य व्यय
03 - अशोक चक्र श्रृखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से

आयोजनेत्तर - मतदेय

कोषागार: बुलन्दशहर **(धनराशि रुपये में)**

मानक मद	पूर्व आवंटन	**वर्तमान आवंटन**	**प्रगामी आवंटन**
42 - अन्य व्यय	0	2812000	2812000
योग :	**0**		2812000

(कृष्ण दयाल वर्मा)
संयुक्त सचिव